(2025/66)

दाखिल
25.3.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

मोहनलाल बनाम देवकी आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 12 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.01.2025	प्रार्थी मोहनलाल की तरफ से वकील श्री मनसाराम झोरड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा केलनिया के ख.नं. 30/1, 30/2, 460/1, 91/1, 95/1, 95/2 की कुल 17.034 है. भूमि में से मृतक तुलछीराम पुत्र हनुमान के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.02.2025 को पेश हो सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
28-2.2025	...उपस्थित/PU मा... [illegible] [illegible] है। पत्रावली [illegible] तारीख [illegible] दिनांक 25.3.2025 को पेश हो [signature]	
25.3.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करते पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन कि प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते [illegible] में खारिज करवाना चाहते हैं। [illegible] पत्र मौजूदा स्थिति में [illegible] पत्रावली नम्बर से खारिज की जाकर बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.29 16:39:54 IST
Reason: SelfAttested